न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 29/2016 तारीख रजू 18.07.2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स– वर्धमान ट्रेडर्स सदर बाजार, ग्रा0पो0 चौथ का बरवाडा निवासी सदर बाजार, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. लालाराम चौधरी (भागीदार) मैसर्स चौधरी स्वीट्स एण्ड नमकीन प्राईवेट लिमिटेड 21 कृष्णा विहार – बी न्यू सांगानेर रोड़ मानसरोवर जयपुर 302020 निवासी रामसिंहपुरा रामपुरा स्कूल के पास रामपुरा जयपुर
3. चौधरी शंकर (भागीदार) मैसर्स चौधरी स्वीट्स एण्ड नमकीन प्राईवेट लिमिटेड 21 कृष्णा विहार – बी न्यू सांगानेर रोड़ मानसरोवर जयपुर 302020 निवासी काना व्यापारी की ढाणी रामसिंहपुरा रामपुरा जयपुर
4. विनोद चौधरी (भागीदार) मैसर्स चौधरी स्वीट्स एण्ड नमकीन प्राईवेट लिमिटेड 21 कृष्णा विहार – बी न्यू सांगानेर रोड़ मानसरोवर जयपुर 302020 निवासी 84–ए सूर्या नगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर
5. मैसर्स चौधरी स्वीट्स एण्ड नमकीन प्राईवेट लिमिटेड 21 कृष्णा विहार – बी न्यू सांगानेर रोड़ मानसरोवर जयपुर 302020 (निर्माता फर्म)

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– **दिनांक** 31/3/23

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 10.12.2015 को समय 02.00 पी.एम. पर मैसर्स वर्धमान ट्रेडर्स सदर बाजार ग्राम एवं पोस्ट चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर पर पहुंचा। वहॉ पर महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन (फर्म मालिक) निवासी सदर बाजार ग्राम व पोस्ट चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर उपस्थित थे। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया, दुकान में खाद्य पदार्थ दाले, चीनी, मसालें, नमकीन, घी आदि विक्रय हेतु प्रदर्शित थी। विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ नमकीन **भुजिया (चौधरी)** 400 ग्राम पौली पैक के 25 पोली पेक दुकान की रैक में रखे हुए थे, के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं खाद्य पदार्थ नमकीन **भुजिया (चौधरी)** 400 ग्राम पौली पेक के क्रय बिल की प्रति पेश किया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ नमकीन **भुजिया (चौधरी)** 400 ग्राम पौली पैक के 04 पोली पेक वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय कर राशि 200/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है,

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:42 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा खाद्य पदार्थ नमकीन **भुजिया (चौधरी)** 400 ग्राम पौली पैक के 04 पौली पैक को 04 प्लास्टिक के जारो में डालकर प्रत्येक जार को बंद कर, आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाकर एवं चारों नमूना भागो को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **एच–807** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर तथा धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी कर प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया गया। आवेदक ने मौके पर फर्द तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे गवाह एवं विक्रेता महावीर प्रसाद जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया, एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवॅर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्र वाहक कैलाश सैन वाहन चालक कार्यालय मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गयी, दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/624 दिनांक 25.02.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/4243/एक्ट/2015/698 दिनांक 19.02.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन **भुजिया (चौधरी)** 400 ग्राम पौंली पैक **मिसब्राण्ड** पाया गया। उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण ने मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)) खाद्य पदार्थ नमकीन **भुजिया (चौधरी)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकतम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)) खाद्य पदार्थ चाय (पारीक) का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:42 IST
Reason: SelfAttested

अभियुक्तगण 2 लगा0 5 ने बहस में तर्क दिया है कि उनकी कम्पनी द्वारा निर्मित नमकीन भुजिया (इसर चौधरी) का बेचान अभियुक्त संख्या 1 की फर्म वर्धमान ट्रेडर्स चौथ का बरवाडा को किया गया था। हमारी नमकीन में जांच में कोई मिलावट नहीं पाई गई केवल पेकिंग की जानकारी एवं नये नियमों की जानकारी के अभाव में मिसब्रांड पाई गई है। हमारे द्वारा पैकिंग में सुधार कर लिया गया है। भविष्य दोबारा उक्त गलती को नहीं दोहराया जावेंगा। न्यूनत्तम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/4243/एक्ट/2015/698 दिनांक 19.02.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन **भुजिया (चौधरी)** मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)) पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा भी बहस में जुर्म स्वीकार किया है तथा प्रकरण को न्यूनत्तम शास्ति राशि अधिरोपित कर प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया हैं।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i)) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के **खाद्य वस्तु नमकीन भुजिया (चौधरी) 400 ग्राम पौली पैक** का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 5 पर संयुक्त रूप से **30,000/–रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये)** की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगणों को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **31.03.2023** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:05:42 IST
Reason: SelfAttested